# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 2241/2007/जयपुर.**

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड–द्वितीय, वृत–प्रथम, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मोदी एन्टरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड,
नोएडा, गाजियाबाद (यू.पी.). .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**
**श्री मनोहर पुरी, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

कोई नहीं .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**दिनांक : 02/06/2015**

## निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 728/आरएसटी/एनआरडी/99–2000 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.03.2007 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, राजस्थान वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के अधिनियम की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.8.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.08.99 को वाहन संख्या आर.जे.33/जी–0739 को शाहपुरा के पास चैक किये जाने पर वाहन में **'बिजनेस सेटेलाईट रिसीवर'** नोएडा (गाजियाबाद) से अजमेर/ब्यावर/चित्तौड़ के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल व बिल्टी प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल को अधिसूचित श्रेणी का मानते हुए घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए/18एए नहीं पाये जाने के आधार पर अधिनियम की धारा 78(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए माल को निरूद्ध किया जाकर वाहन चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्वयं को पक्षकार बनाते हुए कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया, जिस पर सक्षम अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ

**लगातार.....2**

नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपने जवाब में जाहिर किया कि परिवहनित माल क्रेता व्यवहारी के स्वयं के उपयोग हेतु है, ना कि विक्रयार्थ। माल अधिसूचित श्रेणी का नहीं होने से घोषणा—पत्र एस.टी.18ए/18एए की आवश्यकता नहीं थी। माल के साथ संलग्न बिल में सी.एस.टी. चार्ज किया हुआ है। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है तथा उनकी किसी प्रकार की करापवंचन की मंशा नहीं है। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 23.8.1999 से धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 71,001/— एवं कर रूपये 18,334/— व रूपये 2,272/— कुल रूपये 92,207/— का आरोपण किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2007 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर, प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

4. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए/18एए माल के साथ नहीं पाये जाने पर व्यवहारी के अधिनियम की धारा 78(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति एवं कर का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में दिनांक 07.08.99 को वाहन चैक किये जाने पर माल में 'बिजनेस सेटेलाईटर रिसीवर' के दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र घोषणा—पत्र एस.टी.18ए/18एए नहीं पाया गया। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने माल अधिसूचित श्रेणी का नहीं होना तथा माल स्वयं के उपयोग हेतु मंगवाया जाना जाहिर

लगातार.....3

किया। इस सम्बन्ध में राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 53(1)(a)(ii)(iii) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

53. Declaration required to be carried with the goods in movement for import within State.- (1) (a) A registered dealer, -

(i) .....

(ii) who receives any goods as may be notified by the State Government, consigned to him from outside the State, or

(iii) who intends to bring, import or otherwise receives any taxable goods as may be notified by the State Government, from outside the State for use, consumption, or disposal otherwise than by way of sale;

7. इसी प्रकार राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफडी/टैक्स डिवी/99–157 दिनांक 26.03.1999 की प्रविष्ठि संख्या 26 निम्न प्रकार है :–

**No.F.4(4)FD/Tax Divn/99-157 dated 26.3.1999**

S.O.454.-In exercise of the powers conferred by S.81, RST Act, 1994, and in pursuance of rule 53(1)(a)(i) and rule 53(1)(b)(i), RST Rules, 1995 and in supersession of this Deptt's notfn No. F.4(74)FD/Tax Divn/95-43 dated 9.7.1998 (as amended from time to time) [S.No.1162], the State Govt. hereby notifies the following goods:-

**26. Tele Communication and sound transmitting equipments including Cellular and Cordless telephone, Fax and pagers**

8. राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 53 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.03.1999 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आयातित माल बिजनेस सेटेलाईट रिसीवर एक अधिसूचित श्रेणी का माल है, जिसके लिये वक्त परिवहन घोषणा–पत्र एस.टी.18ए/18एए संलग्न होना आवश्यक है, जो कि वक्त परिवहन नहीं पाया गया, ना ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रस्तुत किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

9. प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह कथन भी स्वीकार्य नहीं है कि माल स्वयं के उपयोग हेतु आयात किया गया है। माल प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स मोदी एन्टरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड, नोएडा, गाजियाबाद (यू.पी.) द्वारा अजमेर/ब्यावर/चित्तौड़ की विभिन्न फर्मों को विक्रय किया गया है। क्रेता व्यवहारी आयातित माल का किस प्रकार उपयोग करते हैं, इस बात की

लगातार.....4

जिम्मेदारी प्रत्यर्थी व्यवहारी (विक्रेता) नहीं ले सकता। प्रत्यर्थी व्यवहारी स्वयं ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर उसे पक्षकार बनाते हुए कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में वक्त परिवहन माल के साथ समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी प्रत्यर्थी व्यवहारी की होती है तथा उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि माल का परिवहन वांछित दस्तावेजों के बिना किया जा रहा था।

10. उक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्षित किया जाता है कि प्रकरण में विवादित वस्तु **'बिजनेस सेटेलाईट रिसीवर'** अधिसूचित श्रेणी का माल था, जिसके परिवहन के दौरान घोषणा—पत्र एस.टी.18ए/18एए होना आवश्यक था, जो वक्त जांच नहीं पाया गया एवं नोटिस की पालना में भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माल के परिवहन में स्पष्ट रूप से धारा 78(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

11. किन्तु जहां तक अधिनियम की धारा 78(5) के तहत कर आरोपित करने का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 78(2) के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिये धारा 78(5) के अर्न्तगत शास्ति आरोपण के प्रकरण में व्यवहारी के विरूद्व धारा 78(5) के तहत कर आरोपित करने का कोई प्रावधान नहीं होने से प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व आरोपित किया गया कर अपास्तनीय है।

12. उक्त विवेचन के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व विधि अनुसार आरोपित की गई शास्ति को अपास्त करने सम्बन्धी अपीलीय अधिकारी का आदेश अविधिक होने से अपास्त योग्य है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व आरोपित कर को अपास्त करने की सीमा तक अपीलीय आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व आरोपित शास्ति राशि रूपये 71,001/— की पुष्टि की जाती है तथा आरोपित कर राशि रूपये 18,334/— व 2,272/— को अपास्त किया जाता है।

14. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 02.06.2015

**( मनोहर पुरी )**
**सदस्य**